न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

इजराय वाद सं0–05/2017

08.05.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। निर्णीत ऋणी सं0–6, 7, 8 एवं रामचन्द्र प्रसाद के तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। दिनांक–03.05.2023 डिक्रीदार द्वारा दाखिल आवेदन प्रचालित किया गया। डिक्रीदार का कथन है कि इजराय वाद की पेज सं0–6 पर जमीमा सं0–1 में प्लाट सं0–3157 एवं 3158 का विलोपित होना न्यायार्थ अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि इजराय वाद के आवेदन का पेज सं0–6 पर दर्ज जमीमा सं0–1 में प्लाट सं0–3157 एवं 3158 को विलोपित करने का आदेश पारित किया जाए।

निर्णीत ऋणी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि डिक्रीदार का यह आवेदन किसी भी रूप में मेन्टेनेबुल नहीं है। डिक्रीदार को मौजूदा सवाल दाखिल करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। डिक्रीदार द्वारा यह आवेदन बहुत विलेटेड स्टेज में दाखिल किया गया है जो हर सूरत में खारिज होने के काबिल है। फाइनल डिक्री के आवेदन में किसी तरह का मरम्मत करना न्याय संगत नहीं है डिक्रीदार ने अपने सवाल में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वह इजराय आवेदन में दिया गया प्लाट नंबर 3157 एवं 3158 को निकालना चाहते हैं। डिक्रीदार के आवेदन को मंजूर करने से इजराय सवाल के नेचर एवं स्कोप में परिवर्तन हो जाता है डिक्रीदार के आवेदन में कोई मेरिट नहीं है। डिक्रीदार के आवेदन में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत प्लीडिंग नहीं है। डिक्रीदार द्व ारा उपरोक्त इजराय वाद दाखिल किया गया है जो प्रिसक्राइब्ड फार्म में नहीं है तो डिक्रीदार कहॉ संशोधन करना चाहते हैं जबकि सी0पी0सी0 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार इजराय वाद प्रिसक्राइब्ड फार्म में दाखिल होना चाहिए। अतः डिक्रीदार द्वारा दाखिल यह आवेदन खारिज करने योग्य है। अतः डिक्रीदार का आवेदन दिनांक–03.05.2023 को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि डिक्रीदार के द्वारा जिन प्लाट नंबर 3157 एवं 3158 को डिक्री निष्पादन के आवेदन से हटाने की मांग की गयी है उनके संबंध में पारित मूल वाद की डिक्री अभिलेख के साथ उपलब्ध नहीं है जबकि अपीलीय डिक्री उक्त प्लाटों के संबंध में भी है इसी के चलते डिक्रीदार प्लाट संख्या–3157 एवं 3158 को डिक्री निष्पादन आवेदन से हटाना चाहते हैं और क्योंकि डिक्रीदार के द्वारा डिक्री निष्पादन में कुछ जोड़ा नहीं बल्कि हटाया

जा रहा है। इसलिए हटाने के विशेष कारणों को आवेदन में उल्लेखित करने का कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। डिक्रीदार द्वारा इन प्लाट के हटाये जाने से वाद की प्रकृति या गुण–दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इससे अन्तिम डिक्री में किसी प्रकार का संशोधन हो रहा है। वाद के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर डिक्रीदार के आवेदन दिनांक–03.05.2023 को स्वीकृत किया जाता है और डिक्रीदार को निष्पादन आवेदन से प्लाट संख्या–3157 एवं 3158 को हटा लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वाद दिनांक–15.05.2023 वास्ते दिनांक–09.05.2019 के आवेदन पर सुनवाई।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव